

विषय-सूची



आमुख

iii

एक चिट्ठी आपके नाम

v

अध्याय 1

समकालीन विश्व में लोकतंत्र

2

अध्याय 2

लोकतंत्र क्या? लोकतंत्र क्यों?

24

अध्याय 3

संविधान निर्माण

44

अध्याय 4

चुनावी राजनीति

60

अध्याय 5

संस्थाओं का कामकाज

84

अध्याय 6

लोकतांत्रिक अधिकार

104



अध्याय 1

समकालीन विश्व में लोकतंत्र

परिचय

यह किताब लोकतंत्र के बारे में है। पहले अध्याय में हम देखेंगे कि पिछले सौ वर्षों में लोकतंत्र किस प्रकार दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों में फैलता गया है। दुनिया के स्वतंत्र देशों में से आधे से अधिक में आज लोकतंत्र है। आप यह भी देखेंगे कि लोकतंत्र का फैलाव बहुत सरलता से और एक जैसे रूप में नहीं हुआ है। विभिन्न देशों में इसने काफी सारे उतार-चढ़ाव देखे हैं। आज भी लोकतंत्र की स्थिरता और उसके टिकाऊपन को लेकर संदेह बना रहता है।

इस अध्याय में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोकतांत्रिक व्यवस्था के बनने-बिगड़ने की अलग-अलग कहानियाँ दी गई हैं। ये उदाहरण आपको यह बताएँगे कि लोकतांत्रिक शासन के होने और न होने के क्या अर्थ हैं। हम लोकतंत्र के विस्तार की इस प्रवृत्ति को नक्शों के माध्यम से दिखाने के बाद एक संक्षिप्त इतिहास दे रहे हैं। इस अध्याय में एक ही देश के लोकतंत्र के कामकाज पर ही ध्यान केंद्रित किया गया है। लेकिन अध्याय के आखिर में हमने यह देखने का प्रयास किया है कि विभिन्न देशों के आपसी संबंध लोकतांत्रिक हैं या नहीं। हमने कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्य-कलापों का परीक्षण किया है। इससे हम यह सवाल पूछ सकते हैं कि क्या हम वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं?



राष्ट्रपति आयेदे (हेलमेट में) और उनके सुरक्षा गार्ड चिले के राष्ट्रपति-भवन ला मोनेदा के सामने। यह चित्र 11 सितंबर 1973 का है और इसके कुछ घंटों बाद ही आयेदे की हत्या कर दी गई। इस चित्र में आए लोगों के चेहरे के भाव क्या कहते हैं?



राष्ट्रपति आयेदे बार-बार मजदूरों की बात क्यों करते हैं? अमीर लोग उनसे नाखुश क्यों थे?

1.1 लोकतंत्र के दो किस्से

“मेरे मुल्क के मेहनतकश मजदूरों! चिले और इसका भविष्य बहुत ही अच्छा है, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेंगी तब भी चिले के लोग उस मुश्किल और अंधियारे दौर से पार पा लेंगे। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि देर-सबरे वे स्थितियाँ बनेंगी ही जिसमें आज़ाद लोग एक बेहतर समाज की रचना के लिए आगे बढ़ेंगे। चिले जिंदाबाद! चिलेवासी जिंदाबाद! मजदूर जिंदाबाद!

ये मेरे आखिरी शब्द हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी और मैं महापराध, कायरता और देशद्रोह के खिलाफ़ एक नैतिक सबक बनकर मौजूद रहूँगा।”

ये सल्वडोर आयेदे के आखिरी भाषण के कुछ अंश हैं। वे दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के एक प्रमुख देश, चिले, के राष्ट्रपति थे। यह भाषण उन्होंने 11 सितंबर, 1973 की सुबह दिया था और उसी दिन फ़ौज ने उनकी सरकार का तख्तापलट कर दिया था। आयेदे, चिले की

सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे और उन्होंने ‘पॉपुलर यूनिटी’ नामक गठबंधन का नेतृत्व किया। 197 में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से आयेदे ने गरीबों और मजदूरों के फायदे वाले अनेक कार्यक्रम शुरू कराए थे। इनमें शिक्षा प्रणाली में सुधार, बच्चों को मुफ्त दूध बाँटना और भूमिहीन किसानों को ज़मीन बाँटने के कार्यक्रम शामिल थे। उनका राजनैतिक गठबंधन विदेशी कंपनियों द्वारा देश से ताँबा जैसी प्राकृतिक संपदा को बाहर ले जाने के खिलाफ़ था। उनकी नीतियों को मुल्क में चर्च, ज़मींदार वर्ग और अमीर लोग पसंद नहीं करते थे। अन्य राजनैतिक पार्टियाँ इन नीतियों के खिलाफ़ थीं।

1973 का सैनिक तख्तापलट

11 सितंबर 1973 को आयेदे को पता चला कि नौसेना के एक समूह ने बंदरगाह पर कब्ज़ा कर लिया है। जब रक्षा मंत्री अपने कार्यालय पहुँचे

तो सेना के लोगों ने उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया। सेना के अधिकारियों ने रेडियो के माध्यम से घोषणाएँ कीं और राष्ट्रपति से पद छोड़ने को कहा। आयेन्दे ने इस्तीफा देने या देश से बाहर चले जाने से इनकार किया। फ़ौज कुछ करती इसके पहले ही उन्होंने रेडियो पर अपना वह संदेश दिया जिसके कुछ अंश हमने शुरू में पढ़े हैं। फिर फ़ौज ने राष्ट्रपति के निवास को घेर लिया और उस पर बम बरसाने लगी। इस फ़ौजी हमले में राष्ट्रपति आयेन्दे की मौत हो गई। अपने आखिरी भाषण में वे इसी कुर्बानी की बात कर रहे थे।

11 सितंबर 1973 को चिले में जो कुछ हुआ उसे सैनिक **तख्तापलट** कहते हैं। इस बगावत की अगुवाई जनरल ऑगस्तो पिनोशे कर रहे थे। अमेरिका की सरकार आयेन्दे के शासन से खुश नहीं थी। उसने तख्तापलट करने वालों की गतिविधियों में मदद की, उनके लिए पैसे उपलब्ध कराए। तख्तापलट के बाद पिनोशे मुल्क के राष्ट्रपति बन बैठे और उन्होंने अगले 17 वर्षों तक राज किया। पिनोशे की सरकार ने आयेन्दे के समर्थकों और लोकतंत्र की माँग करने वालों

का दमन किया, उनकी हत्या कराई। इनमें चिले की वायुसेना के प्रमुख जनरल अल्बर्टो बैशेले और अनेक वे फ़ौजी अधिकारी शामिल थे जिन्होंने तख्तापलट में शामिल होने से इंकार किया था। जनरल बैशेले की पत्नी और बेटी को भी जेल में डालकर काफी प्रताड़ित किया गया। सेना ने 3 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। काफी सारे लोग 'लापता' हो गए। कोई नहीं जानता कि उनका क्या हुआ।



खुद करें, खुद सीखें

- नक्शे में चिले की खोज करो और उसमें रंग भरों। हमारे देश के किस राज्य का आकार चिले की तरह का है ?
- अगले एक हफ्ते तक अखबार में दक्षिणी अमेरिका महादेश के बारे में छपने वाली सभी खबरों की कतरनें जुटाओ। क्या हमारे अखबारों में इस महादेश के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है ?

लोकतंत्र की वापसी

पिनोशे का सैनिक शासन 1988 में तब समाप्त हुआ जब उन्होंने **जनमत संग्रह** कराने का फ़ैसला किया। उन्हें भरोसा था कि लोग उनके शासन को जारी रखने के पक्ष में मतदान करेंगे। लेकिन



क्या सेना को यह अधिकार है कि वह देश के रक्षा मंत्री को गिरफ्तार करे? क्या सेना को देश के किसी नागरिक को गिरफ्तार करने का अधिकार होना चाहिए?

जनवरी 2006 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद अपने समर्थकों को संबोधित करती राष्ट्रपति मिशेल बैशेले। इस चित्र को देखने के बाद आपको भारत और चिले की चुनावी जनसभाओं में कोई अंतर दिखता है?



© ला नेशन



लेक वालेशा

पोलैंड पोस्टर बनाने की कला के लिए विख्यात है। सोलिडैरिटी के अधिकांश पोस्टरों में संगठन का नाम इसी शैली में लिखा जाता था। क्या आप भारतीय राजनीति में कहीं पोस्टर कला या दीवार लेखन के ऐसे उदाहरण खोज सकते हैं?



चिले के लोगों ने अपनी लोकतांत्रिक परंपरा को भुलाया नहीं था। उन्होंने भारी बहुमत से पिनोशे की सत्ता को टुकरा दिया। इससे पिनोशे की राजनैतिक सत्ता और फिर सैनिक सत्ता भी चली गई। अपने आखिरी भाषण में आयेदे ने जो उम्मीद जाहिर की थी वह सही साबित हुई। चिले की जनता ने कायरता और देशद्रोह करने वाले अपराधियों को उनके किए की सजा दे दी। इसके बाद से अभी तक चिले में चार चुनाव हो चुके हैं और विभिन्न दल एक-दूसरे से मुकाबला करते हुए जीत-हार रहे हैं। धीरे-धीरे शासन में सेना की भूमिका खत्म होती गई है। बाद में आई सरकारों ने पिनोशे के राज में हुई गड़बड़ियों की जाँच के आदेश दिए हैं। इन जाँचों से पता चलता है कि पिनोशे सरकार सिर्फ क्रूर ही नहीं थी, उसने भारी भ्रष्टाचार भी किया था।

ऊपर हमने जिक्र किया था कि पिनोशे सरकार ने जनरल बैशेले की पत्नी के साथ उनकी बेटी को भी जेल में डाला और काफ़ी परेशान किया। वही लड़की, मिशेल बैशेले आज चिले की राष्ट्रपति हैं और जनवरी 26 से सत्ता संभाल रही हैं। समाजवादी रुझान वाली मिशेल पेशे से डॉक्टर हैं और लातिनी अमेरिका में रक्षा मंत्री के पद पर आने वाली पहली महिला हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने जिस व्यक्ति को हराया वह चिले के सर्वाधिक धनी व्यक्तियों में गिना जाता है। चिले में लोकतंत्र के पतन और उत्थान की इस कथा को हम उनके ही भाषण के एक अंश से समाप्त करते हैं:

“चूंकि मैं नफ़रत का शिकार बनी थी इसलिए मैंने अपना यह जीवन नफ़रत को खत्म करने,

सहनशीलता और समझदारी के साथ-साथ प्रेम को बढ़ाने के प्रति समर्पित कर दिया है।”

पोलैंड में लोकतंत्र

आइए एक और घटना पर गौर करें जो 198 में पोलैंड में घटी थी। उस समय पोलैंड पर जारुजेल्स्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था। यह उन साम्यवादी दलों में से एक था जो तब पूर्वी यूरोप के अनेक देशों पर शासन करते थे। इन देशों में किसी अन्य राजनीतिक दल को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। लोग साम्यवादी शासन या दल के पदाधिकारियों का चुनाव अपनी इच्छा से नहीं कर सकते थे। नेताओं या पार्टी या सरकार के खिलाफ़ आवाज़ उठाने वालों को जेल में डाल दिया जाता था। पोलैंड की सरकार को एक बड़े साम्यवादी देश, सोवियत संघ का समर्थन हासिल था और वही इस पर नियंत्रण भी करता था।

14 अगस्त 198 को ग्डांस्क शहर स्थित ‘लेनिन जहाज कारखाना’ के मज़दूरों ने हड़ताल की। यह जहाज-कारखाना सरकारी था। दरअसल पोलैंड के सारे कारखाने और बड़ी संपत्तियाँ सरकारी थीं। मज़दूरों ने एक क्रेन चालक महिला को गलत ढंग से नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ़ हड़ताल शुरू की। उनकी माँग थी कि इस महिला को काम पर वापस लिया जाए। कानून के अनुसार हड़ताल की इजाज़त नहीं थी क्योंकि देश में शासक दल से अलग किसी स्वतंत्र मज़दूर संघ की अनुमति नहीं थी। हड़ताल

जारी रही और फिर पहले काम से निकाला गया एक इलेक्ट्रिशियन बंदरगाह की दीवार लांघकर अंदर पहुँचा और हड़ताली कर्मचारियों के संग हो लिया। इस आदमी का नाम था - लेक वालेशा और बहुत जल्दी ही यह हड़ताली कर्मचारियों का नेता बन गया। हड़ताल को समर्थन बढ़ता गया और जल्दी ही यह पूरे शहर में फैल गई। अब मजदूरों ने ज्यादा बड़ी माँगें करनी शुरू कर दीं। उन्होंने स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की माँग की। उन्होंने यह भी माँग की कि **राजनैतिक बंदियों** को रिहा किया जाए और प्रेस पर लगी सेंसरशिप हटाई जाए।

यह आंदोलन इतना लोकप्रिय हो गया कि सरकार को हार माननी पड़ी। लेक वालेशा के नेतृत्व में मजदूरों ने सरकार के साथ 21 सूत्री करार किया और हड़ताल खत्म हुई। गडांस्क संधि के बाद एक नया मजदूर संगठन 'सोलिडरनोस्क' (जिसे अंग्रेजी में सोलिडेरिटी कहते हैं) बना। किसी भी साम्यवादी देश में पहली बार एक स्वतंत्र मजदूर संघ का गठन हुआ। एक वर्ष के अंदर ही सोलिडेरिटी का विस्तार पूरे देश में हो गया और इसकी सदस्य संख्या एक करोड़ के करीब पहुँच गई। सरकार के कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार की व्यापकता के किस्से सामने आने से सत्ता में बैठे लोगों की परेशानियाँ बढ़ती गईं। जनरल जारुज़ेल्स्की के नेतृत्व वाली सरकार एकदम बौखला गई और उसने दिसंबर 1981 में **मार्शल लॉ** घोषित कर दिया। सोलिडेरिटी के हजारों सदस्यों को जेल में डाल दिया गया और संगठन बनाने, विरोध करने और अभिव्यक्ति की आज़ादी फिर से छीन ली गई।

1988 में सोलिडेरिटी ने फिर से हड़तालें करवाईं और लेक वालेशा ने इनकी अगुवाई की। इस समय पोलैंड की सरकार पहले से कमजोर थी, सोवियत संघ से मदद का भी पहले जैसा भरोसा न था और अर्थव्यवस्था में

तेज़ी से गिरावट आ रही थी। लेक वालेशा के साथ समझौता-वार्ता का एक और दौर चला और अप्रैल 1989 में जो समझौता हुआ उसमें स्वतंत्र चुनाव कराने की माँग मान ली गई। सोलिडेरिटी ने सीनेट के सभी 1 सीटों के लिए चुनाव लड़ा और उसे 99 सीटों पर सफलता मिली। अक्टूबर 199 में पोलैंड में राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार चुनाव हुए जिसमें एक से ज्यादा दल हिस्सा ले सकते थे। लेक वालेशा को पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया।



खुद करें, खुद सीखें

- नक्शे में पोलैंड को ढूँढ़ें। उसके चारों ओर स्थित देशों के नाम लिखें।
- 1980 के दशक में पूर्वी यूरोप के किन-किन अन्य देशों में साम्यवादी शासन था? नक्शे में उन देशों पर रंग भरें।
- उन राजनैतिक गतिविधियों की सूची बनाएँ जो 1980 के दशक में पोलैंड में नहीं हो सकती थीं पर आप अपने देश में कर सकते हैं।

लोकतंत्र की दो विशेषताएँ

हमने अभी दो तरह के सच्चे किस्सों को पढ़ा। चिले का मामला आर्येदे की लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर पिनोशे की अलोकतांत्रिक सैनिक सरकार के कब्जे और फिर से लोकतंत्र की वापसी का है। पोलैंड में हमने एक अलोकतांत्रिक सरकार की जगह लोकतांत्रिक सरकार के आने का किस्सा पढ़ा।

आइए, अब इन दोनों मामलों में आई दो अलोकतांत्रिक सरकारों की तुलना करें। चिले के पिनोशे शासन और पोलैंड के साम्यवादी शासन में काफी अंतर है। चिले में सैनिक तानाशाह का राज था जबकि पोलैंड में एक पार्टी का राज था। पोलैंड की सरकार का दावा था कि वह मजदूर वर्ग की ओर से शासन चला रही है। पिनोशे ने ऐसा कोई दावा नहीं किया और खुलेआम बड़े पूँजीपतियों को लाभ पहुँचाया। इन असमानताओं के बावजूद दोनों में कुछ समानताएँ भी थीं:



पोलैंड में एक स्वतंत्र मजदूर संघ क्यों इतना महत्वपूर्ण था? मजदूर संघों की ज़रूरत क्यों है?

- लोग अपने शासकों का चुनाव या उनमें बदलाव नहीं कर सकते थे।
- किसी को अपने विचार व्यक्त करने, संगठन बनाने, विरोध करने और राजनैतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की वास्तविक आज़ादी न थी।

इसी प्रकार जिन तीन लोकतांत्रिक सरकारों—आयेंदे की चिले सरकार, वालेशा की पोलिश सरकार और मिशेल की चिले सरकार—का जिक्र ऊपर हुआ है, उनका भी आर्थिक और सामाजिक मामलों के प्रति नज़रिया एक जैसा नहीं रहा है। आयेंदे ने अर्थव्यवस्था को नियंत्रित और निर्देशित ढंग से चलाना पसंद किया जबकि वालेशा चाहते थे कि बाज़ार सरकारी दखल से मुक्त हों। मिशेल इस मामले में कुछ मध्यमार्गी रास्ता अपनाने वाली हैं। फिर भी इन तीनों सरकारों की कुछ विशेषताएँ समान थीं। यहाँ लोगों द्वारा चुनी गई सरकारें ही

शासन चला रही थीं। बिना चुने हुए नेता या बाहर से संचालित शक्तियाँ या फ़ौज शासन नहीं चला रही थी। लोगों को विभिन्न प्रकार की बुनियादी राजनैतिक स्वतंत्रता हासिल थी।

आइए, हम इन्हीं दो कथाओं से लोकतंत्र की पहचान का एक तरीका विकसित करें। अब तक हम जान चुके हैं कि लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि लोग अपनी मर्जी की सरकार चुनें। लोकतंत्र में—

- सिर्फ लोगों द्वारा चुने गए नेताओं को ही देश पर शासन करना चाहिए।
- लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी, संगठन बनाने और विरोध करने की आज़ादी जरूरी है।

हम अध्याय 2 में इस प्रश्न पर दोबारा गौर करेंगे और लोकतंत्र की परिभाषा बनाएँगे। हम लोकतंत्र की कुछ विशेषताएँ भी नोट करेंगे।

कहाँ
पहुँचे?
क्या
समझे?



अभी तक हमने जिन पाँच सरकारों का जिक्र किया है, अनिता ने उन सबके गुण-दोषों की सूची तैयार की। पर इस सूची में घालमेल हो गया। अब उसके पास पूरी सूची तो है पर उसे याद नहीं कि ये गुण-दोष किस-किस सरकार के हैं। क्या आप नीचे दी गई सारणी में सरकारों की सूची के साथ उनके गुण-दोषों को दर्ज कर सकते हैं? याद रखिए कि इनमें से कुछ विशेषताएँ एक से ज्यादा सरकारों पर लागू होती हैं और उन सबके खाने में इनको अलग-अलग दर्ज करना होगा।

विशेषताएँ:

विशेषताएं:				
सरकार की आलोचना की इजाज़त नहीं	फ़ौज की तानाशाही	व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार	राष्ट्रपति भी राजनैतिक बंदी	
शासक का चुनाव लोगों के द्वारा	सभी उद्योगों पर सरकारी स्वामित्व	एक से अधिक पार्टियाँ मौजूद होना	शासक का चुनाव लोगों के द्वारा नहीं	
लापता होते लोग	लोगों को बुनियादी राजनैतिक आज़ादी प्राप्त	घरेलू मामले में विदेशी दखल		
चिले आयेंदे	चिले पिनोशे	चिले मिशेल	पोलैंड जारूज़ेल्स्की	पोलैंड लेक वालेशा

1.2 लोकतंत्र के तीन नक्शे

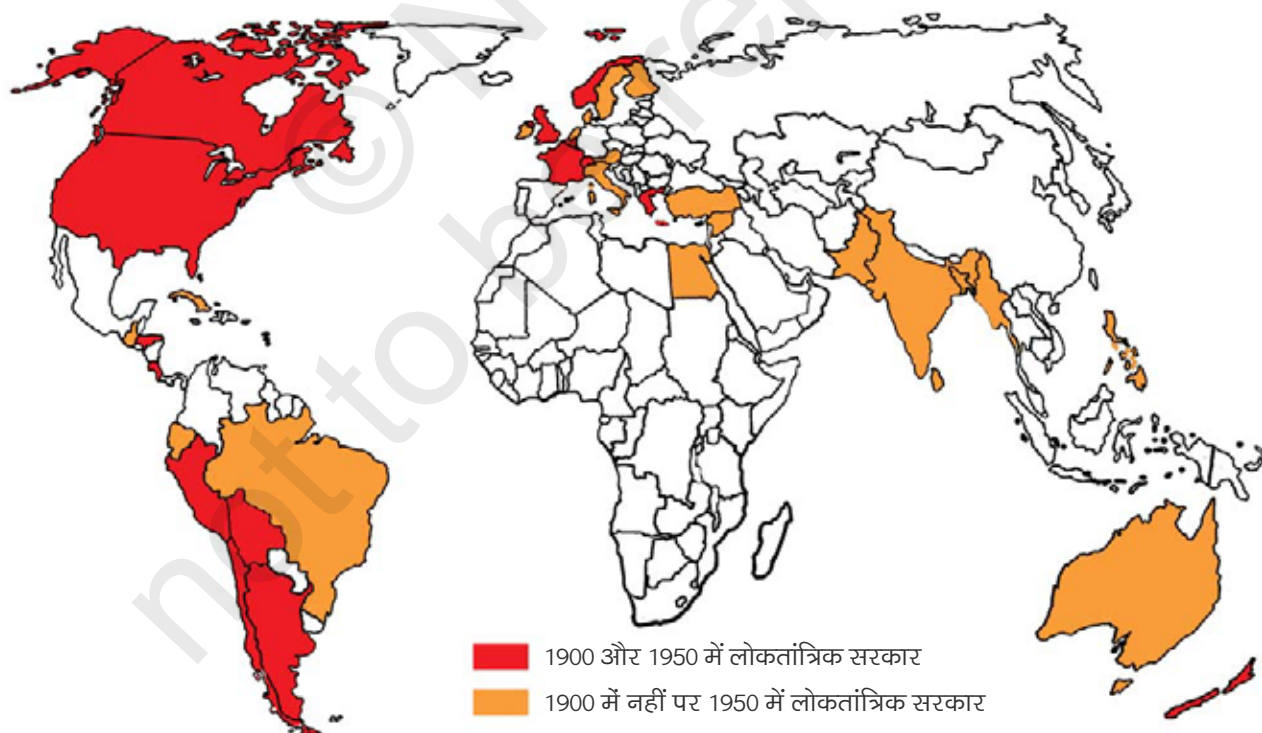
ऊपर हमने जो कथाएँ पढ़ी हैं, बीसवीं सदी के दुनिया के इतिहास में वैसी कथाएँ भरी पड़ी हैं—लोकतंत्र आने की, लोकतंत्र को मिलने वाली चुनौतियों की, सैनिक तख्तापलटों की, लोकतंत्र बहाल करने के लिए लोगों के संघर्ष की। लोकतंत्र की तरफ़ जाने और उसके रास्ते में आने वाली परेशानियों में क्या कोई स्पष्ट संकेत या प्रवृत्ति भी दिखाई देती है? तो आइए हमने लोकतंत्र की जिन मूल विशेषताओं का जिक्र पहले किया था उनके आधार पर दुनिया के विभिन्न देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहचान करें।

यहाँ दिए गए नक्शे यही काम करते हैं। नीचे दिए गए तीनों नक्शों को गौर से देखिए और यह जानने की कोशिश कीजिए कि बीसवीं सदी में जिस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था का विस्तार और विकास हुआ है उसमें कोई स्पष्ट

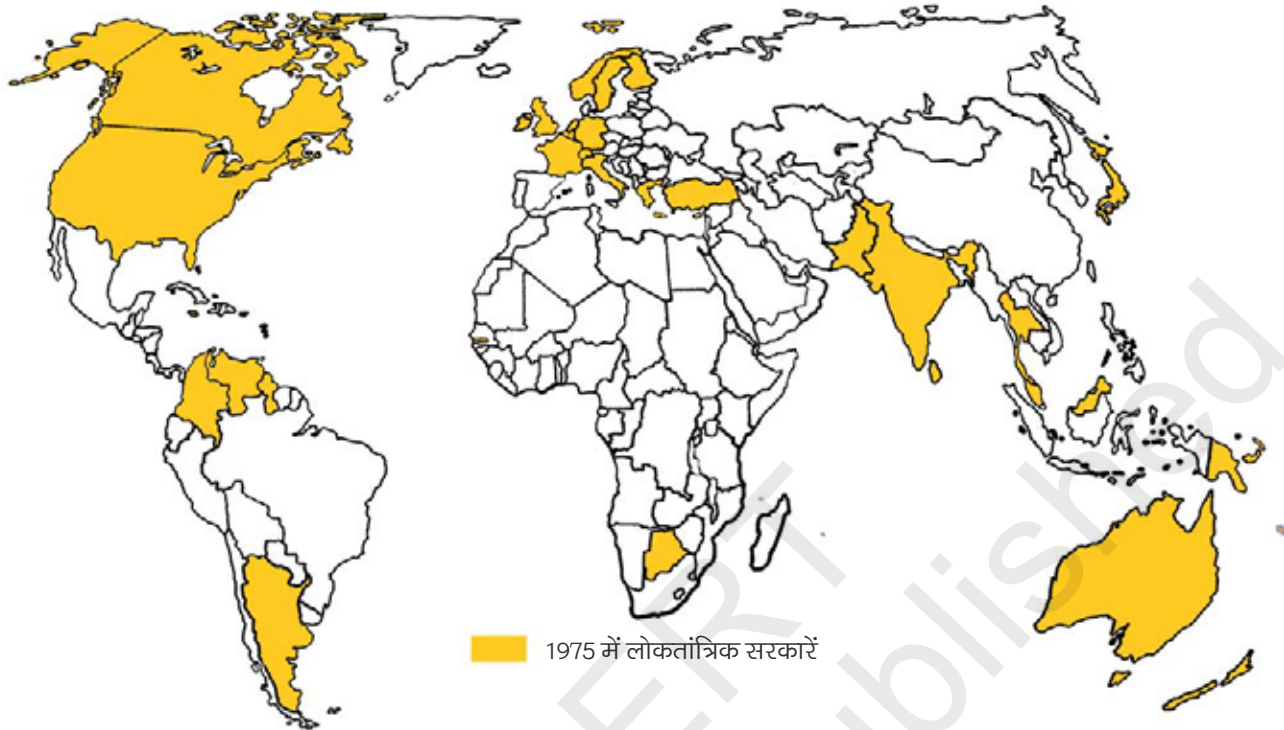
धारा या प्रवृत्ति दिखाई देती है या नहीं। पहले नक्शे में द्वितीय विश्वयुद्ध के थोड़े ही समय बाद 195 तक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों को दर्शाया गया है। इस नक्शे में ऐसे देश भी शामिल हैं जहाँ सन् 19 तक लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो चुकी थी। दूसरा नक्शा सन् 1975 का है। तब तक दुनिया के अधिकांश उपनिवेशों को राजनैतिक आजादी मिल गई थी। आखिर में हम एक और कदम आगे बढ़कर इक्कीसवीं सदी की शुरुआत में सन् 2 का नक्शा देखते हैं।

इन नक्शों को देखते हुए आइए हम खुद से कुछ सवाल पूछें। बीसवीं सदी में लोकतंत्र की यात्रा कैसी रही? इसके विस्तार में क्या कोई स्पष्ट प्रवृत्ति दिखाई देती है? यह विस्तार कब हुआ और किस क्षेत्र में हुआ?

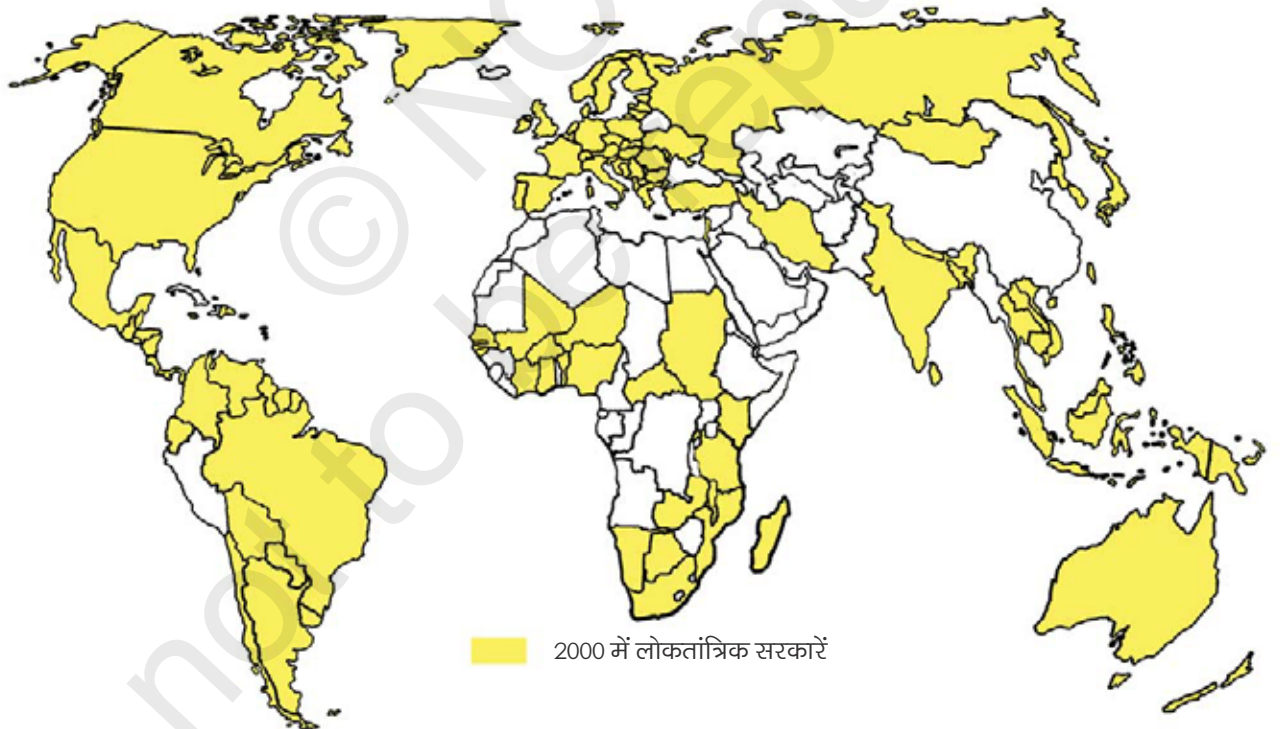
नक्शा 1.1 : 1900 और 1950 के बीच लोकतांत्रिक सरकारें



नक्शा 1.2 : 1975 में लोकतांत्रिक सरकारें



नक्शा 1.3 : 2000 में लोकतांत्रिक सरकारें



स्रोत: इन नक्शों के लिए ऐतिहासिक ऑकड़े मेरीलैंड विश्वविद्यालय के पोलिटी IV प्रोजेक्ट से एकत्रित किए गए हैं। ये ऑकड़े लोकतंत्र की तीन बुनियादी विशेषताओं—नीतियों और नेताओं को चुनने में लोगों की आजादी, कार्यकारी अधिकारों पर नियंत्रण और नागरिक आजादी की गारंटी को आधार मानकर इकट्ठा किए गए हैं। हमने यहाँ लोकतंत्र की मौजूदगी के लिए 'पोलिटी' के घनात्मक स्कोर का उपयोग किया है। कुछ मामलों में डाटासेट के स्कोर में बदलाव भी किया गया है। विस्तार के लिए देखें।

<http://www.cidcm.umd.edu>

इन नक्शों को पढ़ने से जो मुख्य मुद्दे उभरे हैं, आइए उन्हें संक्षेप में समेट लें। हर बिंदु के बाद जो सवाल उभरेंगे उनका जवाब ढूँढ़ने के लिए आपको बार-बार नक्शों को देखना होगा।

- **पूरी बीसवीं सदी में लोकतंत्र का विस्तार हुआ है।** क्या यह कहना सही होगा कि इन नक्शों में हर बिंदु पर यह दिखता है कि काल के पिछले पड़ाव की तुलना में लोकतांत्रिक व्यवस्था मानने वाले देशों की संख्या बढ़ती गई है?
- **लोकतंत्र का विस्तार दुनिया के सभी हिस्सों में एक समान नहीं हुआ है। यह पहले**

कुछ हिस्सों में स्थापित हुआ और फिर इसका विस्तार अन्य क्षेत्रों में हुआ। 19 और 195 में किस महादेश के सबसे ज्यादा देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ थीं? और किस महादेश में तब लोकतंत्र के बारे में बहुत-से लोग जानते भी नहीं थे?

- **आज दुनिया के अधिकांश देशों में लोकतंत्र है पर अभी भी काफ़ी बड़े हिस्से ऐसे हैं जहाँ लोकतंत्र नहीं है।** सन् 2¹ तक लोकतांत्रिक व्यवस्था न अपनाने वाले ज्यादातर देश दुनिया के किन-किन हिस्सों में अवस्थित हैं?



नक्शे को देखते हुए बताएँ कि कौन-सा दौर लोकतंत्र के विस्तार के लिए सबसे महत्वपूर्ण था और क्यों?

इन नक्शों के आधार पर तीन देशों तक की पहचान करें जहाँ नीचे दिए वर्षों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएँ थीं और फिर नीचे दी गई तालिका को भरें।

वर्ष	अफ्रीका	एशिया	यूरोप	लातिनी अमेरिका
1950				
1975				
2000				

- नक्शा 1.1 से ऐसे देशों की पहचान कीजिए जहाँ सन् 1900 से 1950 के बीच लोकतंत्र था।
- नक्शा 1.1 और 1.2 से कुछ ऐसे देशों की पहचान कीजिए जहाँ 1950 से 1975 के बीच लोकतंत्र आया।
- नक्शा 1.2 और 1.3 से यूरोप के कुछ ऐसे देशों की पहचान कीजिए जो सन् 1975 और 2000 में लोकतांत्रिक थे।
- लातिनी अमेरिका के कुछ ऐसे देशों की पहचान कीजिए जिन्होंने 1975 के बाद लोकतंत्र अपना लिया।
- कुछ ऐसे देशों की सूची बनाइए जो सन् 2000 तक भी लोकतांत्रिक नहीं हुए थे।

कहाँ पहुँचे? क्या समझे?



1.3 लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण

शुरूआत

इन नक्शों से हमें बीसवीं सदी के पहले के घटनाक्रम का कुछ भी पता नहीं चलता। आधुनिक लोकतंत्र की कहानी कम-से-कम दो सदी पहले शुरू हुई। आपने अपनी इतिहास की पुस्तक में 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जरूर पढ़ा होगा। इस जनविद्रोह ने फ्रांस में टिकाऊ और पक्के लोकतंत्र की स्थापना नहीं की थी। पूरी उन्नीसवीं सदी भर फ्रांस में बार-बार लोकतंत्र को उखाड़ फेंका गया और बार-बार इसे बहाल

किया गया। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे यूरोप में जगह-जगह पर लोकतंत्र के लिए संघर्षों की प्रेरणा दी।

ब्रिटेन में लोकतंत्र की तरफ कदम उठाने की शुरूआत फ्रांसीसी क्रांति से काफ़ी पहले ही हो गई थी। लेकिन वहाँ प्रगति की रफ़्तार काफ़ी कम थी। अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी में हुए राजनैतिक घटनाक्रमों ने राजशाही और सामंत वर्ग की शक्ति में कमी कर दी थी। फ्रांसीसी क्रांति के आसपास ही उत्तर अमेरिका में स्थित



अधिकांश देशों में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में काफी देर से मताधिकार क्यों मिला? भारत में ऐसा क्यों नहीं हुआ?

ब्रिटिश उपनिवेशों ने 1776 में खुद को आजाद घोषित कर दिया था। अगले कुछ ही वर्षों में इन उपनिवेशों ने साथ मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात् आधुनिक अमेरिका का गठन किया। 1787 में उन्होंने एक लोकतांत्रिक संविधान को मंजूर किया। लेकिन इस व्यवस्था में भी मतदान का अधिकार पुरुषों तक सीमित था।

उन्नीसवीं सदी में लोकतंत्र के लिए होने वाले संघर्ष अक्सर राजनैतिक समानता, आजादी और न्याय जैसे मूल्यों को लेकर ही होते थे। एक मुख्य माँग यह रहा करती थी कि सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार हो। यूरोप के जो देश तब लोकतांत्रिक व्यवस्था को

अपनाते जा रहे थे वे भी सभी लोगों को वोट देने की अनुमति नहीं देते थे। कुछ देशों में केवल उन्हीं लोगों को वोट का अधिकार था, जिनके पास सम्पत्ति थी। अक्सर महिलाओं को तो वोट का अधिकार मिलता ही नहीं था। संयुक्त राज्य अमेरिका में पूरे देश में अश्वेतों को 1965 तक मतदान का अधिकार नहीं था। लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वाले लोग सभी वयस्कों—औरत या मर्द, अमीर या गरीब, श्वेत या अश्वेत—को मतदान का अधिकार देने की माँग कर रहे थे। इसे 'सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार' या 'सार्वभौम मताधिकार' कहा जाता है। यहाँ दिए गए बॉक्स में यह बताया गया है कि दुनिया के किस देश के कब सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया।

जैसा कि आप देख सकते हैं सन् 19 तक न्यूजीलैंड ही अकेला ऐसा देश था जहाँ के हर वयस्क व्यक्ति को मतदान का अधिकार प्राप्त था। लेकिन अगर आप नक्शे पर गौर करेंगे तो पाएँगे कि बीसवीं सदी के शुरू में अनेक दूसरे देशों को भी 'लोकतांत्रिक' बताया गया है। तब इन देशों में लोगों की एक बड़ी संख्या सरकार का चुनाव करती थी। इन लोगों में अधिकांश पुरुष ही होते थे। यहाँ अनेक तरह की राजनैतिक आजादी भी मिल गई थी। यूरोप, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के यही देश आधुनिक लोकतंत्र का पहला समूह बनाते हैं।

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का काल क्रम

1893	न्यूजीलैंड
1917	रूस
1918	जर्मनी
1919	नीदरलैंड
1928	ब्रिटेन
1931	श्रीलंका
1934	तुर्की
1944	फ्रांस
1945	जापान
1950	भारत
1951	अर्जेंटीना
1952	यूनान
1955	मलेशिया
1962	आस्ट्रेलिया
1965	अमेरिका
1978	स्पेन
1994	दक्षिण अफ्रीका

नोट: इस सूची में उन देशों के नाम नहीं हैं जहाँ मताधिकार प्रभावी रूप से सभी नागरिकों को उपलब्ध नहीं है या जहाँ ऐसा अधिकार देने के बाद उसे वापस ले लिया गया।

उपनिवेशवाद का अंत

काफी लंबे समय तक एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश यूरोपीय राष्ट्रों के उपनिवेश बने रहे। इन परतंत्र देशों के लोगों को आजादी पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। यह लड़ाई अपने औपनिवेशिक शासकों से आजादी की ही नहीं थी, इसमें अपना नेता खुद चुनने की इच्छा भी शामिल थी। हमारा देश उन थोड़े से परतंत्र देशों में एक था जहाँ लोगों ने औपनिवेशिक शासन से

मुक्ति के लिए राष्ट्रीय संघर्ष किया। इनमें से अनेक देशों ने दूसरे विश्वयुद्ध के तत्काल बाद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपना ली। भारत ने 1947 में आज़ादी हासिल की और एक गुलाम देश से लोकतांत्रिक देश बनने की राह पर चल पड़ा। यहाँ आज तक लोकतंत्र बना हुआ है और फल-फूल रहा है। उपनिवेश रहे अधिकांश दूसरे देशों का अनुभव अच्छा नहीं रहा है।

पश्चिमी अफ्रीका के देश घाना का उदाहरण उपनिवेश रहे देशों के सामान्य अनुभव को बहुत अच्छी तरह दर्शाता है। यह ब्रिटिश उपनिवेश था और तब इसका नाम गोल्ड कोस्ट था। यह 1957 में आज़ाद हुआ। यह अफ्रीका के सबसे पहले आज़ादी पाने वाले देशों में एक था। इससे अनेक अफ्रीकी देशों को आज़ादी के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा मिली। एक सुनार के पुत्र और शिक्षक रहे वामे एनक्रूमा ने देश की आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाई थी।

आज़ादी के बाद एनक्रूमा घाना के पहले प्रधानमंत्री और फिर राष्ट्रपति बने। वे जवाहर लाल नेहरू के मित्र और अफ्रीका में लोकतंत्रवादियों के लिए एक प्रेरणा पुरुष थे। लेकिन वे नेहरू के नक्शे-कदम पर नहीं चल पाए। उन्होंने अपने आपको आजीवन राष्ट्रपति के रूप में चुनवा लिया। लेकिन थोड़े समय बाद ही 1966 में सेना ने उनका तख्तापलट कर दिया। घाना की तरह ही अधिकांश अफ्रीकी देशों का रिकॉर्ड कमो-बेश इसी तरह का रहा। जिन्होंने आज़ादी के बाद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाई थी वहाँ लोकतंत्र लंबे समय तक नहीं चल पाया।



- एटलस में घाना को दूँटें और फिर पिछले हिस्से में दिए गए तीनों नक्शों पर घाना की जगह बताएँ। क्या सन् 2000 में घाना में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी ?
- किसी को जीवन भर के लिए राष्ट्रपति चुनने को क्या आप उचित मानते हैं या हर कुछ वर्षों की निश्चित अवधि के बाद चुनाव कराना बेहतर है ?

हाल का दौर

लोकतंत्र की दिशा में ज़्यादा तेज़ी से कदम उठाने का सिलसिला लातिनी अमेरिका के अनेक देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली के साथ 1980 के बाद शुरू हुआ। 1990 के दशक में सोवियत संघ के बिखराव के साथ यह प्रक्रिया और तेज़ हुई। पोलैंड वाली कथा से हमने जाना कि सोवियत संघ का अपने पड़ोसी, पूर्वी-यूरोपीय साम्यवादी देशों पर नियंत्रण था। 1989-9 के दौर में पोलैंड और अनेक दूसरे देश सोवियत नियंत्रण के बाहर हो गए। उन्होंने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई। आखिरकार 1991 में सोवियत संघ खुद भी बिखर गया। सोवियत संघ में कुल 15 गणराज्य थे। ये सभी स्वतंत्र देशों के रूप में सामने आए। इनमें से अधिकांश ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही अपनाई। पूर्वी यूरोप पर से सोवियत नियंत्रण की समाप्ति और सोवियत संघ के टूटने का दुनिया के राजनैतिक नक्शे पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा।

घाना की राजधानी अकरा में बना एनक्रूमा स्मारक पार्क। यह स्मारक एनक्रूमा की मौत के बीस साल बाद 1992 में बना। इसमें इतनी देरी का कारण क्या हो सकता है ?



© देव ले, विकीपेडिया, जी एन यू फ्री डाक्यूमेंटेशन लाइसेंस



म्यांमार के सैनिक
शासकों के प्रति भारत
सरकार की क्या नीति
होनी चाहिए?

इस अवधि में भारत के पड़ोस में भी काफी बड़े बदलाव हुए। 199 के दशक में ही पाकिस्तान और बांग्लादेश में सैनिक शासन की जगह लोकतंत्र का आगमन हुआ। नेपाल में राजा ने अपने अनेक अधिकार, चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार को सौंपे और खुद संवैधानिक प्रमुख बने रहे। लेकिन ये बदलाव स्थायी नहीं थे। 1999 में जनरल मुशरफ़ ने पाकिस्तान में फिर से सैनिक शासन कायम कर लिया। 25 में नेपाल के नए राजा ने चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया और पिछले दशक में लोगों को दी गई राजनैतिक आज़ादी को समाप्त कर दिया। लेकिन 2006 में फिर लोकतांत्रिक शक्तियों की विजय हुई। राजा को संसद की बैठक बुलानी पड़ी और संसद ने राजा की शक्तियों को घटाकर उसे सिर्फ़ नाममात्र का शासक बना दिया।

इस अवधि में नित नए देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम होने या उसकी चाह बढ़ने की प्रवृत्ति ही प्रमुख रही। यह दौर अभी जारी है।

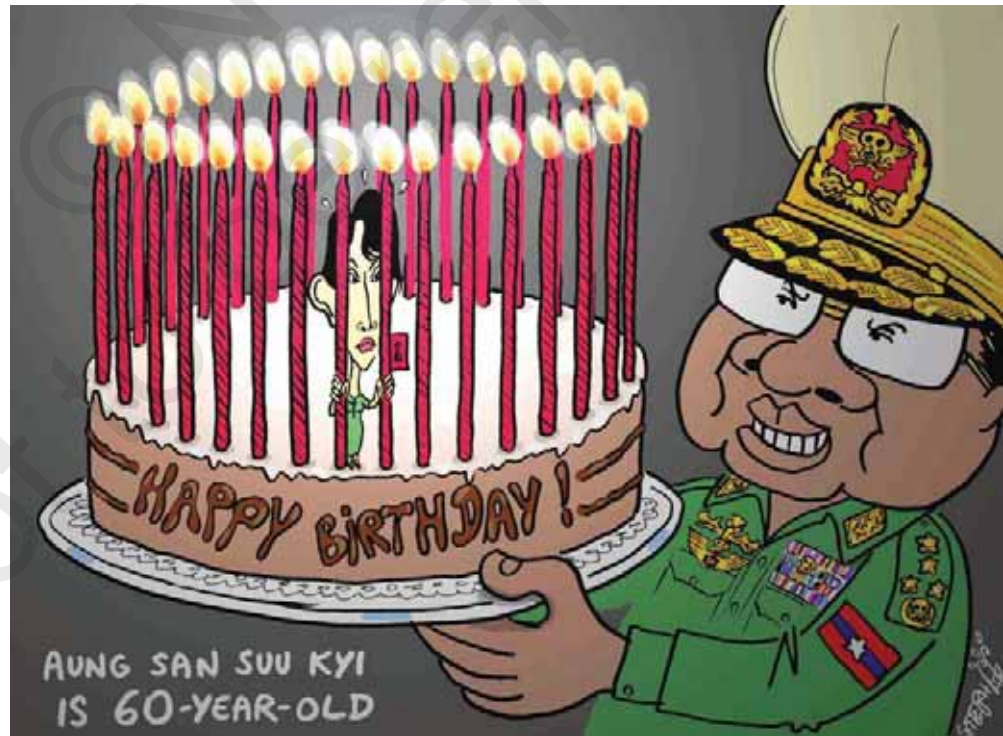
सन् 25 तक करीब 14 देशों में बहुदलीय प्रणाली के तहत चुनाव कराए जाते थे। यह संख्या पहले कभी भी इतनी अधिक नहीं रही। पहले अलोकतांत्रिक रहे 8 से ज़्यादा देश 198 के बाद से लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ़ बढ़े हैं। लेकिन, आज भी अनेक देशों में लोग न तो अपने विचारों को मुक्त भाव से व्यक्त कर सकते हैं और न ही वे अपना नेता चुन सकते हैं। वे अपने वर्तमान और भविष्य के बारे में बड़े फ़ैसले भी नहीं ले सकते।

ऐसा ही एक देश है म्यांमार, जिसे पहले बर्मा कहा जाता था। यह 1948 में ही औपनिवेशिक शासन से आज़ाद हुआ और इसने लोकतंत्र को अपनाया। लेकिन 1962 में सैनिक तख्तापलट से लोकतंत्र का अंत हो गया। 199 में लगभग 3 वर्षों बाद पहली बार चुनाव कराए गए। आंग सान सू ची की अगुवाई वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने चुनाव जीते। पर म्यांमार के फ़ौजी शासकों ने सत्ता छोड़ने से इंकार कर दिया और चुनाव परिणामों को मान्यता नहीं दी। बल्कि



यह कार्टून 2005 में छपा जब आंग सान सू ची 60 वर्ष की हुईं। इस कार्टून के जरिए कार्टूनिस्ट क्या कहना चाहता है? क्या सैनिक शासक इस कार्टून को देखकर खुश होंगे?

© स्टेफ़न से, थार्लैंड, कैंगल कार्टूनिस्ट



उन्होंने सू ची समेत चुने हुए लोकतंत्र समर्थक नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया या उनके घर में ही नज़रबंद कर दिया। बहुत छोटी-छोटी राजनैतिक गतिविधियों के लिए भी लोगों को पकड़ कर जेल की सज़ा दी गई। यहाँ सरकार के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बोलने या बयान जारी करने वाले किसी भी व्यक्ति को बीस वर्ष तक की जेल की सज़ा हो सकती है। म्यांमार की फौजी सरकार की ज्यादतियों से तंग आकर वहाँ के 6 से 1 लाख लोगों ने अपना घर-बार छोड़ दिया है और दूसरी जगहों पर शरणार्थी बनकर रह रहे हैं।

नज़रबंदी की सज़ा झेलने के बावजूद सू ची ने लोकतंत्र के लिए अपना अभियान जारी रखा है। उनके अनुसार

“बर्मा में लोकतंत्र की मुहिम वहाँ के लोगों का विश्व समुदाय के स्वतंत्र और बराबरी के

सदस्य के रूप में पूर्ण और सार्थक जीवन जीने का संघर्ष है।”

उनके संघर्ष को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। उन्हें नोबल शांति पुरस्कार भी मिला है। फिर भी म्यांमार के लोगों का अपने देश में लोकतांत्रिक सरकार कायम करने का संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है।



खुद करें, खुद सीखें

- एटलस में म्यांमार को ढूँढ़िए। भारत के कौन-कौन से राज्य इस देश की सीमा से लगे हैं?
- आंग सान सू ची के जीवन पर संक्षिप्त निबंध लिखें।
- म्यांमार में लोकतंत्र के लिए संघर्ष से संबंधित अखबार की खबरों को जमा करें।

1.4 विश्व स्तर पर लोकतंत्र

लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरणों की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अध्यापक डब्ल्यू.एस. सर अपने छात्रों से इसके बारे में संक्षेप में बताने को कहते हैं। यह बातचीत कुछ इस प्रकार होती है:

फरीदा: हमने जाना कि लोकतंत्र का विस्तार अधिक से अधिक इलाकों में और दुनिया भर के देशों में हो रहा है।

राजेश: हाँ, हम आज पहले से बेहतर दुनिया में रह रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम विश्व लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं।

सुष्मिता: विश्व-लोकतंत्र! क्या बात कर रहे हो? मैंने टीवी में देखा कि बिना किसी उचित कारण के अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। इराक के लोगों की राय कभी भी नहीं जानी गई। तुम इसे किस तरह विश्व लोकतंत्र कह सकते हो?

फरीदा: मैं विभिन्न देशों के बीच आपसी संबंधों की बात नहीं कर रही हूँ। मैं इतना भर कह रही हूँ कि

अधिक से अधिक देश लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाते जा रहे हैं।

राजेश: लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अगर ज्यादा से ज्यादा देश लोकतंत्र को अपना रहे हैं तो क्या इसका यह अर्थ नहीं है कि दुनिया ज्यादा लोकतांत्रिक हो रही है? आखिर इराक युद्ध भी तो उस देश में लोकतंत्र कायम करने के लिए ही हुआ।

सुष्मिता: नहीं, मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता।

सिंह सर: मुझे लगता है कि यहाँ हम दो एकदम अलग-अलग चीजों को मिलाकर चर्चा कर रहे हैं। फरीदा ने आज की दुनिया के विभिन्न देशों में लोकतांत्रिक शासन कायम होने की बात कही। राजेश और सुष्मिता के बीच किसी अन्य मुद्दे पर मतभेद है। यह मामला विभिन्न देशों के बीच आपसी संबंधों का है। राजेश, यह संभव है कि एक देश के लोगों द्वारा लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए शासक अन्य देशों पर दबदबा कायम करना चाहें।



क्या कोई वैश्वक सरकार होनी चाहिए? अगर हाँ तो उसका चुनाव कैसे करना चाहिए और उसके पास क्या अधिकार होने चाहिए?

सुष्मिता: जी सर, इराक युद्ध का मामला ठीक यही है।

सुरिंदर: मुझे कुछ भी साफ़ समझ नहीं आता। हम वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र की बात कैसे कर सकते हैं? क्या कोई वैश्विक सरकार है? विश्व का राष्ट्रपति या प्रमुख कौन है? अगर कोई सरकार ही नहीं है तो वह लोकतांत्रिक या गैर-लोकतांत्रिक कैसे हो सकती है?



क्या संयुक्त राष्ट्र में
स्थायी सदस्य देशों को
वीटो का अधिकार होना
चाहिए?

अंतराष्ट्रीय संगठन

इस बातचीत में हम जिस सवाल पर आए हैं, आइए उस पर भी विचार करें। क्या पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक देशों की संख्या बढ़ने से देशों के बीच आपसी संबंध भी स्वतः लोकतांत्रिक बन जाएंगे? लेकिन इस सवाल पर विचार करने से पहले सुरिंदर द्वारा उठाए मुद्दे पर गौर करें। सुरिंदर का कहना है कि एक भारत की सरकार है, एक अमेरिका की सरकार है फिर, और भी देशों की सरकारें हैं। लेकिन दुनिया की कोई

सरकार नहीं है। कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसके द्वारा बनाए गए कानून दुनिया भर के लोगों पर लागू होते हों। अगर ऐसी कोई सरकार नहीं है, अगर कोई शासक नहीं है—कोई शासित नहीं है तो हम लोकतंत्र की दो बुनियादी विशेषताओं को यहाँ कैसे लागू करेंगे? आपको याद होगा कि ये दो विशेषताएँ हैं कि शासकों का चुनाव लोग करेंगे और लोगों को बुनियादी राजनैतिक आज़ादी होगी।

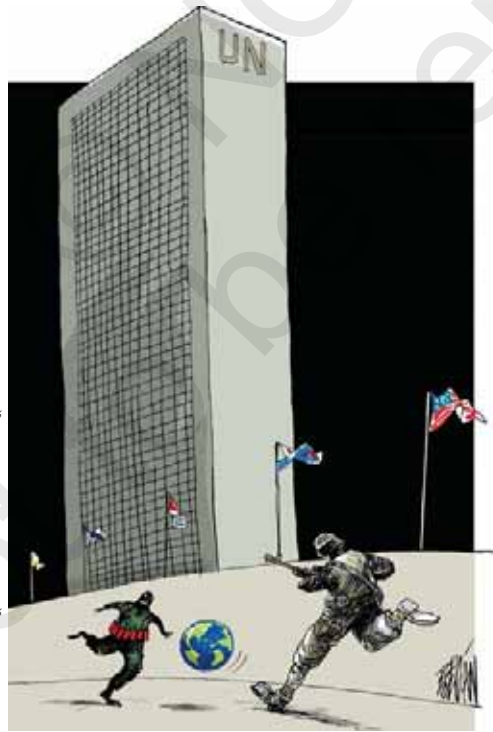
सुरिंदर की शंका सामान्य ढंग से ठीक है पर हम यह नहीं कह सकते कि यहाँ लोकतंत्र का सवाल नहीं उठता। कोई एक विश्व सरकार नहीं है, पर दुनिया में ऐसी कई संस्थाएँ हैं जो आंशिक रूप में ऐसी सरकार के कुछ काम करती हैं। ये संगठन विभिन्न देशों और लोगों पर उस तरह का नियंत्रण नहीं रख सकते जैसा कि कोई सरकार रख सकती है, लेकिन वे ऐसे नियम बनाते हैं जो सरकारों के कामकाज की सीमा तय करते हैं—उनके लिए दिशा-निर्देश देते हैं। इन बिंदुओं पर गौर कीजिए:

- किसी एक देश की सीमा में न आने वाले समुद्री क्षेत्र के कार्य-व्यापार को संचालित करने वाले कायदे-कानून कौन बनाता है? या सभी देशों को प्रभावित करने वाले पर्यावरण के नुकसान रोकने संबंधी नियम-कानून कौन बनाता है? इन सवालों के बारे में **संयुक्त राष्ट्र** ने अनेक नियम बनाए हैं जो अधिकांश देशों पर लागू होते हैं। संयुक्त राष्ट्र दुनिया भर के देशों का एक वैश्विक संगठन है जो अंतराष्ट्रीय कानून, सुरक्षा, आर्थिक निकाय और सामाजिक समता के मामले में परस्पर सहयोग स्थापित करने में मदद करता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव इसके मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं।



यह कार्टून 2005 में मैक्सिको में प्रकाशित हुआ था और इसका शीर्षक था: 'अंतराष्ट्रीय खेल'। कार्टूनिस्ट यहाँ किस खेल की बात कर रहा है? चित्र में गेंद किस चीज़ का प्रतीक है? खिलाड़ी कौन-कौन से हैं?

© ऐज़ल बोलान, यूनिवर्सल, मैक्सिको, केनल कार्टून।



- जब कोई देश दूसरे देश पर गलत ढंग से हमला करता है तब क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र की ही एक संस्था, **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्** के जिम्मे विभिन्न देशों के बीच शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेवारी है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय शांति दस्ता बनाकर गलती करने वाले के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।
- जब सरकारों को पैसों की जरूरत होती है तो उन्हें उधार कौन देता है? यह काम **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष** करता है। **विश्व बैंक** भी सरकारों को ऋण देता है। उधार देने के पहले ये संस्थाएँ संबद्ध सरकार से अपना हिसाब-किताब दिखाने को कहती हैं और उनकी आर्थिक नीतियों में बदलाव का निर्देश देती हैं।

क्या ये निर्णय लोकतांत्रिक हैं ?

इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्व स्तर पर अनेक ऐसी संस्थाएँ हैं जो कुछ-कुछ ऐसे काम करती हैं जिन्हें कोई भी विश्व-सरकार करती। लेकिन हमें यह जानने की जरूरत भी है कि ये संस्थाएँ खुद कितनी लोकतांत्रिक हैं और इस बात को जाँचने का सबसे अच्छा पैमाना यह है कि खुद को प्रभावित करने वाले फ़ैसलों में इन संस्थाओं के सदस्य देशों को किस हद तक स्वतंत्र और बराबर की भागीदारी मिलती है? इस परिप्रेक्ष्य में कुछ वैश्विक संस्थाओं के संगठन और कामकाज पर नज़र डालनी चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों (1 सितंबर 2012 की स्थिति) को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक-एक वोट मिला हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक सदस्य देश के प्रतिनिधियों द्वारा चुने गए अध्यक्ष की अगुवाई में हर साल चलती है। महासभा का स्वरूप काफी

कुछ संसद की तरह है जिसमें सभी तरह की चर्चाएँ होती हैं। इस हिसाब से संयुक्त राष्ट्र बहुत ही लोकतांत्रिक संगठन लगेगा। लेकिन विभिन्न देशों के बीच टकराव की स्थिति में महासभा कोई कार्रवाई नहीं कर सकती।

संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् ऐसे महत्वपूर्ण फ़ैसले लेती है। इसके कुल पंद्रह सदस्य होते हैं। परिषद् के पाँच स्थायी सदस्य हैं—अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। बाकी दस सदस्यों का चुनाव आम सभा दो वर्ष के लिए करती है। पर असली ताकत पाँच स्थायी सदस्यों के हाथ में ही होती है। स्थायी सदस्य ही, खासकर अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र के कामकाज पर होने वाले खर्च का ज्यादातर भाग वहन करते हैं। इन स्थायी सदस्यों को **वीटो** अधिकार मिला है। अगर कोई भी स्थायी सदस्य देश इस अधिकार का प्रयोग करता है तो सुरक्षा परिषद् उसकी मर्जी के खिलाफ़ फ़ैसला नहीं कर सकती। इसी के चलते संयुक्त राष्ट्र को ज्यादा लोकतांत्रिक बनाने की माँग करने वाले लोगों और देशों की संख्या बढ़ती जा रही है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दुनिया के किसी भी देश को उधार और ऋण देने वाली सबसे बड़ी संस्था है। पर इसके सभी 188 सदस्य देशों (1 सितंबर 2012 की स्थिति) को समान मताधिकार प्राप्त नहीं है। हर देश इस कोष में जितने धन का योगदान करता है उसी अनुपात में उसके वोट का वजन भी तय होता है। मुद्रा कोष के 52% से अधिक वोटों पर सिर्फ दस देशों (अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, इटली, सऊदी अरब, कनाडा और रूस) का अधिकार है। बाकी 178 सदस्य इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के फ़ैसलों को ज्यादा प्रभावित करने की स्थिति में नहीं हैं। विश्व बैंक में भी वोटिंग की ऐसी ही प्रणाली है। विश्व बैंक का अध्यक्ष हमेशा कोई



खुद करें, खुद सीखें

- संयुक्त राष्ट्र के इतिहास और उसके विभिन्न संगठनों के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाएँ।
- विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन के फ़ैसलों से जुड़ी खबरें इकट्ठी करें।

अमेरिकी नागरिक ही रहा है जिसका मनोनयन अमेरिकी वित्त मंत्री करते हैं।

फ़ैसले लेने के इन तरीकों की तुलना उन लोकतांत्रिक तरीकों से करें जिनकी चर्चा हम इस अध्याय में करते रहे हैं। जरा सोचिए, आप उस देश के बारे में क्या कहेंगे जहाँ कुछ लोगों के लिए सरकार में मंत्री का पद स्थायी रूप से बना रहे और जिन्हें पूरे संसद द्वारा लिए गए फ़ैसले को भी रोकने का अधिकार हो? या फिर आप उस संसद के बारे में क्या कहेंगे जहाँ के सिर्फ पाँच फीसदी सदस्य ही बहुमत की राय

को पलट देने या रोक देने में सक्षम हों? क्या आप इनको लोकतांत्रिक कहेंगे? राष्ट्रीय सरकारों के लोकतांत्रिक होने न होने के लिए हम जिस सरल कसौटी का प्रयोग करते हैं, अधिकांश वैश्विक संस्थाएँ उस पर खरी नहीं उतरतीं।

अगर वैश्विक संस्थाएँ लोकतांत्रिक नहीं हैं तो क्या वे कम-से-कम पहले की तुलना में ज्यादा लोकतांत्रिक हो रही हैं? इस बात के भी कोई बहुत उत्साहवर्द्धक संकेत नहीं दिखते। दरअसल विभिन्न राष्ट्र तो पहले की तुलना में ज्यादा लोकतांत्रिक हो रहे हैं पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लोकतांत्रिक चरित्र में कमी आती जा रही है। बीस साल पहले दुनिया में दो महाशक्तियाँ थीं—अमेरिका और सोवियत संघ। इन दो महाशक्तियों और उनके पीछे रहने वाले देशों के समूहों की प्रतिद्वंद्विता और टकराव से इन सभी वैश्विक संगठनों का शक्ति संतुलन



वाल्फोविज़ अमेरिका के रक्षा मंत्रालय में, जिसे आम बोलचाल में पेंटागन कहते हैं, एक बड़े अधिकारी थे। वे इराक पर हमला करने के प्रबल पक्षधर थे। यह कार्टून उन्हें विश्व बैंक का अध्यक्ष बनाने पर टिप्पणी करता है। यह कार्टून विश्व बैंक और अमेरिका के संबंधों के बारे में हमें क्या बताता है?



ज्यादा बेहतर रहा करता था। सोवियत संघ के पतन के बाद अमेरिका दुनिया की एकमात्र महाशक्ति लगता है। यह अमेरिकी प्रभुत्व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कामकाज को प्रभावित करता है। यह कहने का ऐसा अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि वैश्विक लोकतंत्र की जरूरत नहीं है या इस दिशा में कोई भी प्रगति ही नहीं हो रही है। जरूरत तो उन लोगों की तरफ से पैदा की जा रही है जो विभिन्न कारणों से आज

एक-दूसरे के ज्यादा संपर्क में आ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न देशों के लोग अपनी सरकारों की मदद के बिना एक-दूसरे के ज्यादा संपर्क में आए हैं। उन्होंने युद्ध और दुनिया पर कुछ देशों या व्यापारिक कंपनियों के प्रभुत्व के खिलाफ वैश्विक संगठन बनाए हैं। किसी भी देश में लोकतंत्र जिस तरह लोगों के संघर्षों और पहल से मजबूत हुआ है वैसे ही वैश्विक मामलों में यह पहल भी लोगों के संघर्षों से ही आगे बढ़ी है।

यहाँ विश्व-लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कुछ सुझाव हैं। क्या आप इन बदलावों का समर्थन करते हैं? क्या ये बदलाव हो सकते हैं? प्रत्येक सुझाव के लिए अपने तर्क दीजिए।

- सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए।
- संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को विश्व संसद के रूप में काम करना चाहिए जिसमें सदस्य देशों के प्रतिनिधियों की संख्या उस देश की आबादी के आधार पर तय हों। ये प्रतिनिधि एक विश्व सरकार का चुनाव करें।
- अलग-अलग देश अपनी सेना नहीं रखें। विभिन्न राष्ट्रों के बीच टकराव की स्थिति में शांति कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अपने कार्य दल रखे।
- संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख का चुनाव दुनिया भर के लोग प्रत्यक्ष मतदान से करें।

कहाँ
पहुँचे?
क्या
समझे?



बाहरी समर्थन का सवाल

पृष्ठ 19 तथा 2 पर दिए गए दोनों कार्टूनों को गौर से देखिए। ये कार्टून वैश्विक लोकतंत्र के बारे में एक मौलिक सवाल उठाते हैं। हाल में दुनिया के ताकतवर देशों, खास तौर से अमेरिका ने शेष दुनिया में लोकतंत्र को बढ़ाने का जिम्मा खुद संभाल लिया है। उनका कहना है कि सिर्फ लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रचार से काम नहीं चलेगा, लोकतांत्रिक देशों को उन देशों में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए सीधी दखल देनी चाहिए जहाँ लोकतंत्र नहीं है। कुछ मामलों में तो ताकतवर

देशों ने गैर-लोकतांत्रिक देशों पर सशस्त्र हमला भी किया है। सुझिता यही बात कर रही थी।

आइए देखें कि इराक में क्या हुआ। इराक पश्चिमी एशिया का एक देश है। 1932 में यह ब्रिटिश गुलामी से आजाद हुआ। तीन दशक बाद यहाँ फ़ौज ने कई सरकारों का तख्ता पलटा। 1968 से यहाँ अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी (अरबी शब्द बाथ का मतलब होता है पुनर्जागरण) का शासन था। बाथ पार्टी के नेता सद्दाम हुसैन ने 1968 के तख्तापलट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसी से यह पार्टी सत्ता में आई। इस

कार्टून बूझें

‘लोकतंत्र की नागफनी’
नामक यह कार्टून 2004 में
प्रकाशित हुआ था। कार्टून
में नागफनी किस रूप में
दिखाई गई है? इसे कौन
कैसे दे रहा है? इसका
संदेश क्या है?

© स्टेफन पेरे, थाइलैंड, केगल कार्टून।



सरकार ने पारंपरिक इस्लामी कानूनों को हटाया और औरतों को अनेक ऐसे अधिकार दिए जो अन्य पश्चिम एशियाई देशों में कहीं नहीं दिए गए थे। 1979 में राष्ट्रपति बनने के बाद से सद्दाम हुसैन ने अपनी तानाशाही चलाई और अपने शासन का विरोध करने वालों का सख्ती से दमन किया। अपने अनेक राजनैतिक विरोधियों की हत्या और जातीय अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का नरसंहार कराने के लिए भी वे कुख्यात हुए।

अमेरिका और ब्रिटेन आदि उसके सहयोगी देशों ने आरोप लगाया कि इराक के पास गुप्त परमाणु हथियार और ‘जनसंहार के हथियार’ हैं और इनसे दुनिया को बहुत खतरा है। लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र ने यह जाँचने के लिए अपनी विशेषज्ञ टीम इराक भेजी तो उस टीम को ऐसे कोई हथियार नहीं मिले। फिर भी 23 में

अमेरिका और उसके साथी देशों ने इराक पर हमला किया, उस पर कब्जा कर लिया और सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटा दिया। अमेरिका ने अपनी पसंद की अंतरिम सरकार बनवा दी। इराक के खिलाफ युद्ध को सुरक्षा परिषद् ने भी मंजूरी नहीं दी थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान ने कहा कि इराक के खिलाफ अमेरिकी युद्ध गैर-कानूनी है।



खुद करें, खुद सीखें

- इराक के बारे में अमेरिका और ब्रिटेन में चलने वाली बहसों से जुड़ी सूचनाएँ इकट्ठी करें। इराक पर हमला करने का अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने पहले क्या कारण बताया था? युद्ध के बाद क्या कारण बताए गए?

इराक का उदाहरण कई मूलभूत प्रश्न उठाता है जिन पर हमें सोचने की ज़रूरत है:

- क्या यह लोकतंत्र को बढ़ावा देने का सही तरीका है? क्या किसी देश में लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए किसी लोकतांत्रिक देश को उस देश पर हमला कर देना चाहिए?
- क्या बाहरी सहायता हर मामले में मददगार साबित होती है या वह केवल तभी कारगर होती है जब किसी देश के लोग अपने यहाँ के समाज को लोकतांत्रिक बनाने के संघर्ष में लगे हों?
- अगर बाहरी दखल से किसी देश में लोकतंत्र कायम भी हो जाता है तो क्या वह टिकाऊ होगा? क्या इसे अपने नागरिकों का समर्थन प्राप्त होगा?
- कोई बाहरी शक्ति लोकतंत्र कायम कर दे, क्या यह विचार लोकतंत्र की बुनियादी भावना के एकदम उलट नहीं है?

इस अध्याय में सीखी गई बातों की रेशनी में इन सवालों पर विचार कीजिए।

गठबंधन: लोगों, संगठनों, पार्टियों या राष्ट्रों का

कार्टून बूझें

इराक में चुनाव के दौरान अमेरिकी फ़ौज की मौजूदगी के पक्ष में तर्क दिया जा रहा था कि ऐसा लोकतंत्र की मदद के लिए किया जा रहा है। क्या यह कार्टून किसी और स्थिति पर भी लागू हो सकता है? इस अध्याय के उन उदाहरणों को पहचाने जिन्हें समझने में यह कार्टून मददगार हो सकता है।



© एरेस, केगल कार्टून डॉट कॉम, केगल कार्टून।



एकजुट होना। यह गठबंधन अस्थायी होता है या सुविधाजनक रहने तक ही रह सकता है।

जनमत संग्रह: जनमत संग्रह सभी मतदाताओं के सामने कोई एक प्रस्ताव रखकर उस पर हाँ या ना में जवाब लेने वाला प्रत्यक्ष चुनाव है। यह नए संविधान, किसी कानून या सरकार की किसी एक नीति पर कराया जा सकता है।

तख्तापलट: किसी सरकार को गैर-कानूनी ढंग से अचानक उखाड़ फेंकने को तख्तापलट कहते हैं। यह हिंसक हो सकता है और नहीं भी।

मजदूर संघ: मजदूर करने वालों का अपने रोजगार को बनाए रखने और बेहतरी के उद्देश्य से बना संगठन।

साम्यवादी शासन: साम्यवादी पार्टी द्वारा चलाया जाने वाला किसी देश का शासन जिसमें अन्य पार्टियों को सत्ता के लिए प्रयास करने की इजाजत नहीं होती। राज्य सारी बड़ी संपत्ति और उद्योगों पर नियंत्रण रखता है।

राजनैतिक बंदी: जेल में डाले गए या अपने घर में नज़रबंद ऐसे लोग जिनके विचारों, कामकाज या छवि को सरकार अपने लिए खतरा मानती है। अक्सर ऐसे लोगों के खिलाफ झूठे या बढ़ा-चढ़ाकर मामले दायर किए जाते हैं और कानून द्वारा तय प्रक्रिया को ताक पर रखकर उन्हें कैद रखा जाता है।

मार्शल लॉ: सेना द्वारा प्रशासन और न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे-कानून।

हड़ताल: कुछ शिकायतों के चलते या किसी माँग के पूरा न होने तक मजदूरों या कर्मचारियों द्वारा सामूहिक रूप से काम करने से इंकार करना। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में हड़ताल का अधिकार वैध है।

वीटो: किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र को मिला यह अधिकार कि वह किसी कानून को अकेले रोक सकता है। वीटो किसी फैसले को रोकने का असीमित अधिकार देता है, उसे लागू कराने का नहीं। वीटो, लातिनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है, 'मैं मना करता हूँ।'

उपनिवेश: किसी अन्य शासन व्यवस्था के राजनैतिक नियंत्रण में रहने वाला क्षेत्र।



प्रश्नावली

- इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलती?
 - लोगों का संघर्ष
 - विदेशी शासन द्वारा आक्रमण
 - उपनिवेशवाद का अंत
 - लोगों की स्वतंत्रता की चाह
- आज की दुनिया के बारे में इनमें से कौन-सा कथन सही है?
 - राजशाही शासन की वह पद्धति है जो अब समाप्त हो गई है।
 - विभिन्न देशों के बीच संबंध पहले के किसी वक्त से अब कहीं ज्यादा लोकतांत्रिक हैं।
 - आज पहले के किसी दौर से ज्यादा देशों में शासकों का चुनाव लोगों के द्वारा हो रहा है।
 - आज दुनिया में सैनिक तानाशाह नहीं रह गए हैं।
- निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक का चुनाव करके इस वाक्य को पूरा कीजिए।

अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में लोकतंत्र की जरूरत है ताकि...

क. अमीर देशों की बातों का ज्यादा वजन हो।

ख. विभिन्न देशों की बात का वजन उनकी सैन्य शक्ति के अनुपात में हो।

ग. देशों को उनकी आबादी के अनुपात में सम्मान मिले।

घ. दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो।

4. इन देशों और लोकतंत्र की उनकी राह में मेल बैठाएँ।

देश

लोकतंत्र की ओर

क. चिले

1. ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजादी

ख. नेपाल

2. सैनिक तानाशाही की समाप्ति

ग. पोलैंड

3. एक दल के शासन का अंत

घ. घाना

4. राजा ने अपने अधिकार छोड़ने पर सहमति दी

5. गैर-लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के लोगों को किन-किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों के आधार पर इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए।

6. जब सेना लोकतांत्रिक शासन को उखाड़ फेंकती है तो सामान्यतः कौन-सी स्वतंत्रताएँ छीन ली जाती हैं?

7. वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र बढ़ाने में इनमें से किन बातों से मदद मिलेगी? प्रत्येक मामले में अपने जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए।

क. मेरा देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को ज्यादा पैसे देता है इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ ज्यादा सम्मानजनक व्यवहार हो और मुझे ज्यादा अधिकार मिलें।

ख. मेरा देश छोटा या गरीब हो सकता है लेकिन मेरी आवाज़ को समान आदर के साथ सुना जाना चाहिए क्योंकि इन फैसलों का मेरे देश पर भी असर होगा।

ग. अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अमीर देशों की ज्यादा चलनी चाहिए। गरीब देशों की संख्या ज्यादा है, सिर्फ़ इसके चलते अमीर देश अपने हितों का नुकसान नहीं होने दे सकते।

घ. भारत जैसे बड़े देशों की आवाज़ का अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में ज्यादा वजन होना ही चाहिए।

8. नेपाल के संकट पर हुई एक टीवी चर्चा में व्यक्त किए गए तीन विचार कुछ इस प्रकार के थे। इनमें से आप किसे सही मानते हैं और क्यों?

वक्ता 1: भारत एक लोकतांत्रिक देश है इसलिए राजशाही के खिलाफ़ और लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वाले नेपाली लोगों के समर्थन में भारत सरकार को ज्यादा दखल देना चाहिए।

वक्ता 2: यह एक खतरनाक तर्क है। हम उस स्थिति में पहुँच जाएँगे जहाँ इराक के मामले में अमेरिका पहुँचा है। किसी भी बाहरी शक्ति के सहारे लोकतंत्र नहीं आ सकता।

वक्ता 3: लेकिन हमें किसी देश के आंतरिक मामलों की चिंता ही क्यों करनी चाहिए? हमें वहाँ अपने व्यावसायिक हितों की चिंता करनी चाहिए लोकतंत्र की नहीं।

9. एक काल्पनिक देश आनंदलोक में लोग विदेशी शासन को समाप्त करके पुराने राजपरिवार को सत्ता



प्रश्नावली

सौंपते हैं। वे कहते हैं, 'आखिर जब विदेशियों ने हमारे ऊपर राज करना शुरू किया तब इन्हीं के पूर्वज हमारे राजा थे। यह अच्छा है कि हमारा एक मज़बूत शासक है जो हमें अमीर और ताकतवर बनने में मदद कर सकता है।' जब किसी ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की बात की तो वहाँ के सयाने लोगों ने कहा कि यह तो एक विदेशी विचार है। हमारी लड़ाई विदेशियों और उनके विचारों को देश से खदेड़ने की थी। जब किसी ने मीडिया की आज़ादी की माँग की तो बड़े-बुजुर्गों ने कहा कि शासन की ज़्यादा आलोचना करने से नुकसान होगा और इससे अपने जीवन स्तर को सुधारने में कोई मदद नहीं मिलेगी। "आखिर महाराज दयावान हैं और अपनी पूरी प्रजा के कल्याण में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। उनके लिए मुश्किलें क्यों पैदा की जाएँ? क्या हम सभी खुशहाल नहीं होना चाहते?"

उपरोक्त उद्धरण को पढ़ने के बाद चमन, चंपा और चंदू ने कुछ इस तरह के निष्कर्ष निकाले:

चमन: आनंदलोक एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि लोगों ने विदेशी शासकों को उखाड़ फेंका और राजा का शासन बहाल किया।

चंपा: आनंदलोक लोकतांत्रिक देश नहीं है क्योंकि लोग अपने शासन की आलोचना नहीं कर सकते। राजा अच्छा हो सकता है और आर्थिक समृद्धि भी ला सकता है लेकिन राजा लोकतांत्रिक शासन नहीं ला सकता।

चंदू: लोगों को खुशहाली चाहिए इसलिए वे अपने शासन को अपनी तरफ़ से फैसले लेने देना चाहते हैं। अगर लोग खुश हैं तो वहाँ का शासन लोकतांत्रिक ही है।

इन तीनों कथनों के बारे में आपकी क्या राय है? इस देश में सरकार के स्वरूप के बारे में आपकी क्या राय है?

अपनी कक्षा में अलग-अलग समूह बना लें और किसी भी गैर-लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र के लिए हो रहे संघर्ष से संबंधित अलग-अलग तरह की सूचनाएँ इकट्ठी करें। इन सवालों पर ध्यान केंद्रित करें:



- कोई सरकार किस आधार पर गैर-लोकतांत्रिक होती है?
- उस देश के लोगों की मुख्य शिकायत और माँगें क्या हैं?
- लोगों की इन माँगों पर वर्तमान शासकों की क्या प्रतिक्रिया है?
- लोकतंत्र के संघर्ष के मुख्य नेता कौन हैं?

इस तरह जुटाई गई सूचनाओं को आप प्रदर्शनी, कोलाज़, रिपोर्ट या दीवार पर अखबार के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं।